



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231431
CG-DL-E-27112021-231431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 609]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/99/15-डीडी/80/आईएनएफ/15-बीओडी/422/18.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. दिनेश जजोदिया (सदस्यता सं. 101008), जजोदिया एंड कंपनी, कमरा नं. 4, पहली मंजिल, 546, कालबादेवी रोड, मुंबई 400 002 को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) और भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. दिनेश जजोदिया (सदस्यता सं. 101008) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. दिनेश जजोदिया (सदस्यता सं. 101008) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./473/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/99/15-DD/80/INF/15-BOD/422/18.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Dinesh Jajodia (Membership No. 101008), Jajodia & Company, Room No. 4, 1st Floor, 547, Kalbadevi Road, MUMBAI 400 002**, guilty of Professional and/or Other Misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I and Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Dinesh Jajodia (Membership No. 101008)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Dinesh Jajodia (Membership No. 101008)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./473/2021-22]